

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 903/2007)

(संस्थित दिनांक :- 31/12/07)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र - गोहद

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. रामलखन सिंह पुत्र आशाराम सिंह गुर्जर, उम्र 50 वर्ष।

निवासी :- रते का पुरा, थाना-एण्डोरी, जिला भिण्ड (म.प्र.),

हाल निवासी :- बिहारी टेकरी गोहद, थाना :- गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 21/03/2017 को घोषित)

01. आरोपी रामलखन पर धारा :- 147, 353/149 एवं 435 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 20/11/2006 को सुबह लगभग 09:05 बजे पत्थर की टाल के पास गोहद चौराहा रोड़ पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आयुध-पत्थरों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नगर निरीक्षक धर्मवीर सिंह भदौरिया एवं उसके साथ उपस्थित पुलिस बल, जो उस समय लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे, के द्वारा कानून ड्यूटी के निर्वहन में उक्त लोकसेवकों को भयोपरत करने के उद्देश्य से पुलिस बल पर हमला करने का प्रयास किया एवं पुलिस के शासकीय वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी.03/5600 को नुकसान कारित करने के आशय से उसमें आग लगाकर उक्त पूरे वाहन को तथा उसमें लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा वायरलेस को जलाकर राज्य को सात लाख रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।

02. प्रकरण में अन्य आरोपीगण बड़े उर्फ रामकरन, रोशन खां, अच्छन उर्फ गुलाम, अज्जू उर्फ अमीर मोहम्मद, हेमू उर्फ हेमन्त, राजेन्द्र मिर्धा, पिकी उर्फ ब्रजमोहन, रिन्कू गुर्जर, राजू जमादार, उमेश कांकर, शैलेन्द्र सिंह, रुबी चौहान, देवेन्द्र उर्फ पुचन को निर्णय दिनांक : 08/12/2015 के अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण लाखन एवं अन्नू कांकर की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध प्रकरण उपशमित हो चुका था।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 20/11/2006 को सुबह लगभग 09:05 बजे पत्थर टाल गोहद चौराहा रोड़ पर अज्ञात 200 व्यक्तियों की भीड़ द्वारा लाठी, डण्डे एवं पत्थर से सुसज्जित होकर बलवा करने, कानून ड्यूटी के निर्वहन में लोकसेवकों को भयोपरत करने एवं पुलिस के शासकीय वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी. 03/5600 को में आग लगाकर उक्त पूरे वाहन को तथा उसमें लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा वायरलेस को जलाकर राज्य को सात लाख रुपये का नुकसान कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अवधेश कुमार द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद पर सुबह 09:50 बजे की जाने पर अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध थाना गोहद पर अपराध क्रमांक 215/2006 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 427, 435, 188, 186 एवं 353 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान धर्मवीर सिंह भदौरिया की निशानदेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया। घटनास्थल से शासकीय वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी.03/5600 को जली हुई हालत में जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। फरियादी धर्मवीर सिंह भदौरिया, साक्षी आरक्षक रमेश सिंह एवं दीनानाथ के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी रामलखन के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 147, 353/149 एवं 435 के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने आरोप से इंकार कर विचारण चाहा। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपी रामलखन ने दिनांक : 20/11/2006 को सुबह लगभग 09:05 बजे पत्थर की टाल के पास गोहद चौराहा रोड़ पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आयुध-पत्थरों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
02. क्या आरोपी रामलखन ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नगर निरीक्षक धर्मवीर सिंह भदौरिया एवं उसके साथ उपस्थित पुलिस बल, जो उस समय लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, के द्वारा कानून ड्यूटी के निर्वहन में उक्त लोक सेवकों को भयोपरत करने के उद्देश्य से पुलिस बल पर हमला करने का प्रयास किया?

03. क्या आरोपी रामलखन ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर पुलिस के शासकीय वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी.03/5600 को नुकसान कारित करने के आशय से उसमें आग लगाकर उक्त पूरे वाहन को तथा उसमें लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा वायरलेस को जलाकर राज्य को सात लाख रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की?
04. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
वाद प्रश्न क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में साक्षी धर्मवीर सिंह भदौरिया अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 20/11/2006 को थाना मेहगांव में प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे जरिए वायरलेस सूचना प्राप्त हुई थी कि गोहद में एल.ओ.ड्यूटी के लिए फोर्स लेकर गोहद थाने पर पहुँचे। साक्षी आगे कहता है कि इस पर उसने फोर्स लेकर शासकीय वाहन एम.पी.03/5600 से लगभग साढ़े आठ बजे रवाना होकर पौने दस बजे के आसपास गोहद रोड़ पर पत्थर की टाल के पास पहुँचा, जहाँ पर लगभग दो-ढ़ाई सौ लोगों की भीड़ ने उसके वाहन को रोक लिया। उसने एवं हमराह फोर्स के द्वारा भीड़ को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ काफी उग्र होकर उनमें से कुछ लोगों ने पथराव चालू कर दिया, जिससे बचने के लिए स्वयं को बचाते हुए वह लोग इधर-उधर हो गये, तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने उसके शासकीय वाहन में आग लगा दी, जिससे वाहन एवं उसमें लगा वायरलेस सेट पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया था। तत्पश्चात् उसने अपने फोर्स के साथ थाना गोहद पहुँचा था, जहाँ पर हमराह सैनिक अवधेश को प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में भेजा था। सैनिक अवधेश द्वारा प्रकरण की एफआईआर दर्ज कराई गई एवं इसके उपरांत वह बिना एफआईआर पर हस्ताक्षर किये पेशाब की कहकर थाने से चला गया था, तब साक्षी द्वारा अवधेश के न आने पर एफआईआर हस्ताक्षरित की गई थी, क्योंकि वह प्रकरण का चश्मदीद साक्षी था एवं अवधेश का वरिष्ठ अधिकारी था। एफआईआर प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 29/11/2006 को प्रकरण के विवेचक रामकुमार पाठक द्वारा उसे घटनास्थल पर बुलाया गया था, उसकी उपस्थिति एवं निशानदेही पर प्रकरण का घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.04 विवेचक द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनाक्रम में शासकीय वाहन एवं उसमें लगे वायरलेस सेट का नुकसान लगभग सात लाख रुपये का हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि विवेचक रामकुमार द्वारा नक्शा-मौका बनाये जाते समय उसके कथन लेखबद्ध किये गये थे।

09. धर्मवीर सिंह अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह बताया है कि वह साढ़े आठ बजे मेहगांव से रवाना हुआ था और उक्त रवानगी

का थाने के रोजनामचा में इन्द्राज नहीं किया गया था। साक्षी आगे कहता है कि वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक को उसके साथ और कौन-कौन पुलिसकर्मी गोहद आये थे, क्योंकि घटना काफी पुरानी हो चुकी है। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 05 में धर्मवीर अ.सा.05 ने आरोपीगण के अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जिन लोगों ने पुलिस वाहन में आग लगाई थी, वह उन लोगों के नाम नहीं जानता और ना ही उन्हें शक्ल से पहचान सकता है, क्योंकि घटना लगभग 09 वर्ष पुरानी है और वह नगर गोहद में कभी भी पदस्थ नहीं रहा, केवल उसी दिन एल.ओ.ड्यूटी के लिए गोहद आया था। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 06 में धर्मवीर अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि एफआईआर प्र.पी.05 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि सैनिक अवधेश शर्मा एफआईआर लिखाने के पश्चात् पेशाब करने के लिए चला गया था और उसके ना आने की दशा में साक्षी द्वारा एफआईआर पर हस्ताक्षर किये गये थे। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 06 में ही धर्मवीर अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह उक्त जल गये वाहन क्रमांक एम.पी.03/5600 की अनुमानित कीमत तत्समय टाटा 407 वाहन के बाजार भाव के आधार पर बता रहा है, परन्तु उसके द्वारा ऐसी कोई रेट सूची प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि उसकी बाजार की कीमत 07 लाख रुपये हो। इस प्रकार आरोपित घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में आरोपीगण की पहचान के संबंध में फरियादी धर्मवीर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा कथित रूप से घटना की फरियादी सैनिक अवधेश का विवेचना के दौरान कोई कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. लेखबद्ध नहीं किया गया, ना ही उसका नाम साक्ष्य सूची में साक्षी के रूप में अंकित किया गया तथा उसका कथन भी अभियोजन साक्ष्य के दौरान नहीं कराया गया।

10. अभियोजन साक्षी मुन्नी लाल मौर्य अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 20/11/2006 को पुलिस थाना गोहद में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा अपराध क्रमांक 215/2006 अन्तर्गत धारा 427, 435, 147, 148, 149, 188, 186, 353 भा.द.सं. के तहत फरियादी अवधेश कुमार नगर सैनिक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 200 अज्ञात लोगों की भीड़ के संबंध में लिखाई थी। उसके द्वारा फरियादी के बताएं अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसके द्वारा विवेचना को एफआईआर रामकुमार पाठक को दी गई थी। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में मुन्नीलाल मौर्य अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्तागण के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लेखबद्ध की गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि एफआईआर में आरोपीगण के विवरण में "अज्ञात 200 व्यक्तियों की भीड़" अंकित है।

11. अभियोजन साक्षी दीनानाथ जाटव अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक : 20/11/2006 को वह थाना गोहद में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह एल.ओ. ड्यूटी में एसआई जे.पी.पाराशर के साथ गोलम्बर पर आया था। गोलम्बर पर काफी भीड़-भाड़ थी, वहाँ पर लोग चक्काजाम कर रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि वहाँ से वह लोग पत्थर की टाल की तरफ चले गये तो उधर से एक

पुलिस की गाड़ी टाटा 407 आ रही थी, उक्त गाड़ी को भीड़-भाड़ ने घेरकर आग लगा दी थी, उक्त आग काफी लोगों ने लगाई थी, जिनके नाम उसे आज याद नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक : 20/11/2006 को एक पुलिस की गाड़ी टाटा 407 पत्थर की टाल के पास आई, तो भीड़ ने गाड़ी को रोक लिया और उस पर पथराव करने लगे, तब गाड़ी में बैठे फोर्स ने काफी गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की, मगर भीड़ नहीं मानी और गाड़ी में आग लगा दी। साक्षी दीनानाथ अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि गाड़ी में आग सर्वप्रथम लाखन सिंह गुर्जर, रिन्कू गुर्जर, पिकी गुर्जर, लल्ला मिर्घा, अन्नू कांकर बड़े बाजार का, रामलखन गुर्जर रते का पुरा का, उमेश कांकर, हेमू शर्मा, भवानी, रुबी चौहान भिण्ड की, पुत्तन, देवेन्द्र शुक्ला बन्धा बरथरा का, रोशन मुस्लमान, राजू जमादार, बड़े पंडित बड़ा बाजार का, अच्छन का भाई अज्जू, अच्छन, शैलेन्द्र सिंह भदौरिया, सभी ने एकराय होकर अपने करीबन 500 साथियों के साथ गोलम्बर गोहद रोड़ पर जाम किया था। उसने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि सभी आरोपीगण हाथ में लाठी-डण्डा लिए हुए, गाली-गलौच कर रहे थे। उसने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि सभी ने एकराय होकर हम लोग पर पथराव किया था।

12. प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में दीनानाथ अ.सा.04 का कहना है कि भीड़ द्वारा उस पर कोई पत्थर नहीं फेंका गया था, बाकी फोर्स पर फेंका गया था और उसे कोई पत्थर नहीं लगा था। साक्षी आगे कहता है कि उसके साथ पुलिस फोर्स के कितने और कौन-कौन लोग थे, उसे आज याद नहीं है और वह नहीं बता सकता कि उसे कहां-कहां पत्थर लगे थे। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 06 में दीनानाथ अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि घटनास्थल गोलम्बर पर 250 व्यक्तियों की भीड़ थी, भीड़ ज्यादा होने के कारण वह किसी आरोपी को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचान पाया था और उसने सुना था कि उस भीड़ में भिण्ड की रहने वाली रुबी चौहान मौजूद थी। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने भीड़ में रुबी चौहान को नहीं देखा था। तत्पश्चात् उसने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि भीड़ में से किस व्यक्ति द्वारा गाड़ी में आग लगाई गई थी और किस नम्बर की गाड़ी में आग लगाई गई थी। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने किसी भी आरोपी को पुलिस की गाड़ी में आग लगाते हुए नहीं देखा और वह यह नहीं बता सकता कि किस व्यक्ति ने पुलिस के उपर पत्थर फेंके और काफी भीड़ होने के कारण वह यह भी नहीं बता सकता कि कौन व्यक्ति, क्या लिए हुये था। इस प्रकार इस साक्षी ने उसके मुख्य परीक्षण में किसी भी आरोपी का नाम और उनका कृत्य दर्शित नहीं किया है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपीगण के नाम एवं घटना में उनकी संलिप्तता दर्शित की है और प्रति परीक्षण में पुनः उसने कथित घटना कारित करने वाली भीड़ में आरोपीगण को पहचानने से इंकार किया है और आरोपीगण के कृत्य भी दर्शित नहीं किये हैं। इस प्रकार इस साक्षी का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण होने के कारण संदेहास्पद है। इस प्रकार आरोपित घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में आरोपीगण की पहचान के संबंध में साक्षी दीनानाथ अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

13. अभियोजन साक्षी रामकुमार पाठक अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 20/11/2006 को पुलिस थाना गोहद में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 215/2006 अन्तर्गत धारा 427, 435, 147, 148, 149, 188, 186, 353 विवेचना हेतु दिनांक : 29/11/2006 को प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना हेतु रवाना होकर उसने धर्मवीर सिंह भदौरिया तत्कालीन टी.आई. मेहगांव की निशानदेही पर नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसने टी.आई.धर्मवीर सिंह भदौरिया, आरक्षक रमेश चौहान, दीनानाथ जाटव के बताएं अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसने उक्त दिनांक को घटनास्थल से एक मिनी गाड़ी टाटा 407 क्रमांक एम.पी.03/5600 पूर्णतः जली हालत में थी, जब्त कर प्र.पी.02 का साक्षीगण के समक्ष जब्ती पंचनामा बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने उक्त जली हुई गाड़ी का साक्षी देवराम कुशवाह एवं राकेश जोशी के समक्ष नुकसानी पंचनामा प्र. पी.01 बनाया था, उक्त पंचनामा के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसके अनुसार उक्त गाड़ी जल जाने से 07 लाख रुपये का नुकसान शासन को हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि आगे के अनुसंधान के लिए उसने डायरी टी.आई. को सुपुर्द कर दी थी।

14. प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 05 में रामकुमार अ.सा.03 का कहना है कि उसने आरोपित घटना में जले हुए वाहन का बिल नहीं देखा था। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 06 में रामकुमार अ.सा.03 का कहना है कि शासकीय वाहन के बिल नहीं आते, केवल गाड़ियाँ आती हैं। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 07 में उसका कहना है कि उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित होता हो कि उक्त जला हुआ वाहन थाना गोहद का था। उल्लेखनीय है कि साक्षी धर्मवीर सिंह भदौरिया अ.सा.05 ने उक्त वाहन थाना मेहगांव का होना बताया है। इस प्रकार उक्त वाहन किस थाने का था, इस वावत् उक्त दोनों साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में विरोधाभास है। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 07 में रामकुमार पाठक अ.सा.03 का कहना है कि प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है, कि उक्त वाहन किसने और कितने रुपये में खरीदा था और उसके विभिन्न हिस्से तथा उपकरण कितनी राशि के थे। साक्षी कहता है कि उसके द्वारा उक्त वाहन में लगा वायरलेस सेट नहीं खरीदा गया था। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 08 में रामकुमार पाठक अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यदि घटना दिनांक : 20/11/2006 से दिनांक : 29/11/2006 को उक्त वाहन की जब्ती बनाये जाने के बीच, जबकि उक्त वाहन घटनास्थल पर ही रखा रहा था, उक्त वाहन से किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा छेड़खानी की गई हो या उसे नुकसान पहुँचाया गया हो तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि घटना दिनांक से 29/11/2006 तक उक्त वाहन घटना-स्थल पर रखा रहा था और उसकी सुरक्षा के लिए कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। साक्षी कहता है कि जिस वाहन का उसने नुकसानी पंचनामा बनाया था, वह इतना जल चुका था कि उसका इंजन नम्बर एवं चैसिस नम्बर दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि उक्त जले हुए वाहन का ईंजन नम्बर एवं चैसिस नम्बर क्या था। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 09 में साक्षी का कहना है कि उक्त जले हुए जब्तशुदा वाहन पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं था, जिससे यह दर्शित होता हो कि उक्त वाहन पुलिस का था। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि साक्षियों के कथन के आधार पर उसने पाया था कि वह पुलिस

का वाहन है।

15. अभियोजन साक्षी रमेश सिंह चौहान अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक : 20/11/2006 को वह थाना गोहद में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाने में भभबड़ हुआ था। उस दिन पहले रोका-ठाकी हुई थी, फिर ठोका-ठाकी हुई थी। वह घटना के बाद पहुँचा था, घटना उसके पहुँचने के पहले घटित हो चुकी थी। साक्षी आगे कहता है कि उस दिन हद से ज्यादा भीड़ थी, उस दिन तोमर दरोगा से जनता के लोग बातचीत कर रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि वह आरोपीगण रूबी चौहान, बड़े उर्फ रामचरन, रोशन खान, अक्षन, हेमू शर्मा, राजेन्द्र, पिकी, रिन्कू राजू, उमेश कुमार, शैलेन्द्र सिंह, अन्नू, रामलखन एवं देवेन्द्र को जानता हूँ, उक्त आरोपीगण थाने पर पथराव कर रहे थे। बाद में उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर लिया गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद वह चला गया था, इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। विवेचना के दौरान उससे पूछताछ की गई थी। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार आरोपीगण ने पत्थर की टाल के पास गोहद चौराहा रोड़ पर विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया था, ना की थाना गोहद पर। जबकि यह साक्षी आरोपीगण द्वारा थाने पर पथराव होने का तथ्य बता रहा है। इस प्रकार इस साक्षी का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अभियोजन कथा के प्रतिकूल है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी रमेश चौहान अ.सा.02 का कहना है कि वह यह नहीं बता सकता कि मेहगांव थाने की गाड़ी के आगे आग का पतीला आरोपीगण ने रखा था, अथवा नहीं। क्योंकि वह उस गाड़ी में मौजूद नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि चूँकि वह उस गाड़ी में नहीं था, इसलिए यह भी नहीं बता सकता कि आरोपीगण ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया था, अथवा नहीं। मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 04 में रमेश चौहान अ.सा.02 का कहना है कि उसे बाद में पता चला था कि उक्त घटना में पुलिस की गाड़ी जल गई थी, किसने जलाई थी, उसे नहीं मालूम, क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ऐसा कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया और कहा कि कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता और स्वतः कहा कि वह घटना पर मौजूद नहीं था, इसलिए वह उक्त बातें नहीं बता सकता। इस प्रकार रमेश चौहान अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभास पूर्ण है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जो आरोपित घटना में आरोपीगण की संलिप्तता को दर्शित करते हों।

16. देवाराम अ.सा.01 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इसलिए उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

17. उल्लेखनीय है कि एफआईआर 200 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लेखबद्ध की गई है, यदि एफआईआर कर्ता या एफआईआर लेखक आरोपीगण को व्यक्तिगत रूप से नाम से जानता होता तो वह नामजद एफआईआर लेख करता। एफआईआर अज्ञात 200 लोगों के विरुद्ध लेखबद्ध की गई और अभियोग पत्र 16 लोगों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। उक्त 16 लोगों की पहचान कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कथित रूप से घटना के चक्षुदर्शी

साक्षी रमेश अ.सा.02 ने अभियोजन कथा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है और घटना के चक्षुदर्शी साक्षी दीनानाथ अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि वह आरोपीगण में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और किस व्यक्ति ने पुलिस वाहन में आग लगाई थी, वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने किसी भी आरोपी को पुलिस की गाड़ी में आग लगाते हुए नहीं देखा था। अभियोजन साक्षी रमेश अ.सा.02 घटनास्थल थाना गोहद का होना बताता है, जबकि दीनानाथ अ.सा.04 घटना स्थल पत्थर की टाल के पास गोहद चौराहा रोड़ की होना बताता है, इस प्रकार उक्त कथित चक्षुदर्शी साक्षियों के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर आरोपीगण द्वारा पत्थरों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करने और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करने, उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नगर निरीक्षक धर्मवीर सिंह भदौरिया एवं उसके साथ उपस्थित पुलिस बल, जो उस समय लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे, के द्वारा कानून ड्यूटी के निर्वहन में उक्त लोकसेवकों को भयोपरत करने के उद्देश्य से पुलिस बल पर हमला करने का प्रयास करने एवं पुलिस के शासकीय वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी.03/5600 को नुकसान कारित करने के आशय से उसमें आग लगाकर उक्त पूरे वाहन को तथा उसमें लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा वायरलेस को जलाकर राज्य को सात लाख रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित करने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य गंभीर विरोधाभासों से पूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है और संदेहपूर्ण है और संदेह कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

18. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक :- 20/11/2006 को सुबह लगभग 09:05 बजे पत्थर की टाल के पास गोहद चौराहा रोड़ पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आयुध-पत्थरों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नगर निरीक्षक धर्मवीर सिंह भदौरिया एवं उसके साथ उपस्थित पुलिस बल, जो उस समय लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे थे, के द्वारा कानून ड्यूटी के निर्वहन में उक्त लोकसेवकों को भयोपरत करने के उद्देश्य से पुलिस बल पर हमला करने का प्रयास किया एवं पुलिस के शासकीय वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी.03/5600 को नुकसान कारित करने के आशय से उसमें आग लगाकर उक्त पूरे वाहन को तथा उसमें लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा वायरलेस को जलाकर राज्य को सात लाख रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।

19. अभियोजन आरोपी रामलखन के विरुद्ध धारा 147, 353/149 एवं 435 भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त रामलखन को धारा 147, 353/149 एवं 435 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

20. अभियुक्त रामलखन की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

21. प्रकरण में घटनास्थल से जब्तशुदा जल हुआ वाहन टाटा 407 क्रमांक :- एम.पी. 03/5600 का व्ययन संबंधी आदेश फरार आरोपी रामलखन के विचारण के पश्चात् निर्णय के समय किया जायेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद